

E-Signed

(2018/00073)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री छगनलाल गोयल,  
आर.ए.एस.

अपील संख्या

25/2018

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट्स
1.ओकाराम पुत्र गंगाराम, भाट (फौत) के कायम मुकाम:-		1.मदनलाल पुत्र तेजाराम,कौम भाट, निवासी नयागांव,तहसील पाली, जिला पाली
2.अलिया पुत्री ओकाराम,भाट		2.उपतहसीलदार भाद्राजून, तहसील आहोर, जिला जालोर
3.सोनाराम पुत्र ओकाराम,भाट		
4.बुदाराम पुत्र ओकाराम,भाट		
5.पपाराम पुत्र ओकाराम,भाट		
6.सागरराम पुत्र ओकाराम, समस्त भाट,निवासीगण भाटो -का वास, सेलडी, तहसील आहोर, जिला जालोर		
7.जबीया पुत्री ओकाराम पत्नि नेमाराम,भाट, निवासी हाल -रामासीया,तहसील व जिला पाली		
8.सन्तोष पुत्री ओकाराम पत्नि मदनलाल, भाट, निवासी हाल डेण्डा,तहसील व जिला पाली		

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956  
विरुद्ध आदेश उप तहसीलदार भाद्राजून,दिनांक 22.12.2010(ना.क.सं.499)

उपस्थिति :-

- 1.श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,अपीलांट्स की ओर से।
- 2-श्री जगदीश गोदारा, अभिभाषक, रेस्पोंडेन्ट सं. 1 की ओर से।
- 3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोंडेन्ट सं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 29.11.2019

1. अपीलांट्स के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि संवत् 2040-2059 की मिसल बन्दोबस्त के अनुसार कालू,ओका पिसरान्

गंगा कौम भाट, साकिन देह खातेदार दर्ज था, कालु की शादी सुगनी के साथ हुई थी, इन दोनों से एक पुत्री शान्ति उत्पन्न हुई, जिसकी शादी गांव रानी ,तहसील रानी, जिला पाली तेजाराम के साथ हुई,तेजाराम की मृत्यु के बाद मदनलाल का जन्म हुआ,तेजाराम की मृत्यु के बाद शान्ति को पाली से मस्तान बावजी ईदगाह मस्जिद के पास हरजीराम को नाते दे दी, उससे कोई सन्तान नहीं हुई, वहां केवल चार छः माह ही रही ,उसके बाद शान्ति की मृत्यु हो गई, जो करीब 1970 में पाली मस्तान बावजी क्षेत्र में हुई,लेकिन मदनलाल ने बनावटी मृत्यु प्रमाणपत्र अपने गांव रानी से बनाया, वहां शान्ति की मृत्यु नहीं हुई,फिर भी मिलावट कर गलत मृत्यु प्रमाणपत्र जमीन हड़प करने की नियत से बनाकर उसका असल के रूप में दुरुपयोग किया और मृतक शान्ति पुत्री कालु का नाम गलत रूप से दर्ज करवाया। मृतक शान्ति के पक्ष में अपीलाधीन म्युटेशन खोलने से पूर्व यही म्युटेशन ओकाराम पुत्र गंगाराम अपीलांट सं.1 को नजदीकी वारिस मानते हुए अकेले के नाम भरा गया था तथ इस बाबत ओकाराम के हस्ताक्षर वंशावली पर करवाये गये तथा सरपंच,ग्राम पंचायत बांकली ने इसकी तस्दीक की, इसका इन्द्राज म्युटेशन की पुस्त के पीछे अंकित है, बाद में रेस्पोजेन्ट सं.1-मदनलाल ने पटवारी, आर.आई. से मिलावट कर ओकाराम का नाम हटाकर तथा ओकाराम नाम दूसरी जगह काटकर शान्ति का नाम दर्ज कराया, कटिंग पर किसी कर्मचारी व अधिकारी के हस्ताखर नहीं है, इस म्युटेशन से असन्तुष्ट होकर कालु के सगे भाई ओकाराम वगैराह की तरफ से यह अपील पेश की गई है। कालु व ओका दोनों सगे भाई थे, कालु के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और एक मात्र पुत्री शान्ति उत्पन्न हुई जिसकी शादी रानी गांव में हुई, वहां उसके पति की मृत्यु होने के बाद एक पुत्र मदन उत्पन्न हुआ जो जायज पुत्र है या नहीं, ये बिन्दु सिविल कोर्ट ही निर्णित कर सकती है, राजस्व न्यायालय को सन्तान के बिन्दु पर विवाद होने की स्थिति में पुत्र जायज मानने वाले पक्ष को सिविल कोर्ट में ये बिन्दु तय करवाने के बाद ही राजस्व न्यायालय द्वारा हक दिया जा सकता है,ऐसी स्थिति में मदन किसका पुत्र है, ये बिन्दु जब तक सिविल कोर्ट तय नहीं करती ,तब तक रेवेन्यू कोर्ट द्वारा मदनलाल को मृतक सुगनी का वारिस माना जाना विधि विरुद्ध है,अपीलाधीन म्युटेशन शान्ति के पक्ष में दिनांक 22.12.2010 को खोला जाकर स्वीकृत उसी दिन हुआ है, फौतगी के म्युटेशन के मामलों में मृतक के पक्ष में म्युटेशन खोला जाये ऐसा कोई कानून अपीलांट के ध्यान में नहीं है,अपीलाधीन मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 15.3.2006 को सगणी बेवा कालु के स्थान पर शान्ति पुत्री कालु के पक्ष में खोलने के लिए रिपोर्ट किसने दी,कौन उपस्थित आया, यह सारी कार्यवाही किसने करवायी,इन सभी का

उल्लेख नहीं होने से लैण्ड रिकार्ड रूल्स 121 के अनुसार अंकित करना आवश्यक था जिसका उल्लंघन करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन म्युटेशन सं. 499 का इन्द्राज जमाबंदी में हुआ तब मृतक शान्ति पुत्री कालु का नाम 1/2 हिस्से में, ओकाराम पुत्र गंगा 1/2 के साथ गलत रूप से इन्द्राज हुआ, उस दिन भी शान्ति जीवित नहीं थी और इसके बाद शान्ति के स्थान पर एक अन्य म्युटेशन नम्बर 788 दिनांक 30.5.2018 को स्वीकृत हुआ जिसमें शान्ति पुत्री कालुराम की मृत्यु तारीख 2.1.1971 को फौत होने एवं मदनलाल पुत्र शान्ति पत्नि तेजाराम द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प बांकली में पेश प्रार्थनापत्र व वारिसदार शपथपत्र के आधार पर म्युटेशन खोला गया जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2070-2073 में नोट लगा दिया गया है। मदनलाल का कब्जा मौके पर कभी नहीं रहा, खेत खसरा नम्बर 450 रकबा 4.43 हेक्टर पूरे रकबे में मूंग की फसल दस दिन पहले बोयी जो उग चुकी है, मौके पर खड़ी है, रेस्पोजेन्ट सं.1 का नाम गलत होने के कारण तथा कब्जा न होने के कारण ग्राहक तलाश के बैचान करने पर आमादा है, ऐसी स्थिति में बैचान को रोका जाना न्याय हित में आवश्यक है। दिनांक 30.5.2018 को अपीलांट्स गांव में हाजिर नहीं थे क्योंकि अपीलांट सं.1 लकवाग्रस्त हैं जिसका ईलाज करवाने के लिए बाहर जाते रहते हैं, इस कारण केम्प में उपस्थित नहीं रहे। दिनांक 13.7.2018 को अपीलांट बुदाराम पटवारी के पास जमाबंदी नकल ऋण लेने के लिए आवश्यक होने पर गया, उस दिन यह पता चला कि कालु के स्थान पर ओकाराम का म्युटेशन भरा जा चुका था, दिनांक 13.7.18 को पटवारी से नकल मांगने पर नकले दिनांक 16.7.2018 को मिली, तब पूर्णरूप से ज्ञान हुआ, अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन म्युटेशन सं. 499 दिनांक 22.10.2010 निरस्त किया जाकर मृतक सुगणी बेवा कालु के वारिसान् व कब्जे काश्त की जांच करने के लिए तहसीलदार अहोर को प्रतिप्रेषित करावे। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ नकले पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोजेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट्स के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र का रेस्पोजेन्ट्स की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।
3. अपीलांट सं.4-बुदाराम के वकील ने अपीलांट सं. 1-ओकाराम फौत होने से उसके वारिसान् 2 से 6 पहले से मौजूद है व शेष ओकाराम की दो पुत्रियां जबिया पत्नि नेमारामजी भाट साकिन हाल-रामासीया व सन्तोष पत्नि मदनलाल, भाट साकिन हाल डेण्डा, तहसील व जिला पाली को रेकर्ड पर लिया जावे, बाद सुनवाई के जबिया व सन्तोष को रैकार्ड पर लिया गया।

4. उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट्स के वकील ने बहस में बताया कि मौजा सेलडी के खसरा नम्बर 450 रकबा 4.43 हेक्टर में मिसल बन्दोबस्त संवत् 2040-2059 में कालु, ओका पिसरान् गंगा, कौम भाट, बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है, ओकाराम फौत के कायम मुकाम ने यह अपील पेश कर निवेदन किया कि ओकाराम का सगा भाई कालु का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट-मदनलाल के नाम गलत दर्ज हुआ है, उसके स्थान पर ओकाराम के वारिसान् का हिस्सा, वे द्वितीय श्रेणी के वारिसान् होने के कारण दर्ज होना था, उसके स्थान पर मदनलाल के नाम गलत दर्ज हुआ है, इस अपील में कालु के 1/2 हिस्से को लेकर ही विवाद है, कालु के कोई पुत्र नहीं था, उसकी पत्नी का नाम सुगणा था, जो दोनों पति, पत्नी मर चुके हैं, सुगणा के बजाय मृतक शान्ति के नाम म्युटेशन संख्या 499 हुआ है जो गलत है क्योंकि एक अन्य म्युटेशन सं. 788 जो शान्ति पुत्री कालु के स्थान पर रेस्पोडेन्ट-मदनलाल के नाम भरा गया है, उसमें शान्ति पुत्री कालुराम की मृत्यु दिनांक 2.1.1971 को होना बताया है, इस प्रकार म्युटेशन 499 निर्णित किया, उस दिन शान्ति पुत्री कालु जीवित नहीं थी, इस प्रकार मृतक के पक्ष में म्युटेशन हुआ है जो हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है तथा म्युटेशन सं. 788 जो शान्ति के स्थान पर रेस्पोडेन्ट-मदनलाल के पक्ष में दिनांक 13.7.18 को निर्णित हुआ है वह भी गलत है क्योंकि राजथान रेवेन्यू बोर्ड द्वारा निर्णित अपील दिनांक 28.1.1997 को जेकोरी बनाम हरजी, आर आर सी 1997 पृष्ठ सं.10 के निर्णय के अनुसार मृतक की सम्पत्ति में सगे भाई व सगी बहनों को बराबर हिस्सा मिल सकता है लेकिन बहिन के लड़के को कुछ नहीं मिलेगा, उक्त निर्णय के अनुसार रेस्पोडेन्ट मदनलाल जो शान्ति का पुत्र है, उसके नाम निर्णित हुआ है, वह विधिसम्मत न होने से निरस्त किये जाने योग्य है, वैसे भी पिता की सम्पत्ति में पुत्री को उस समय मिलता जब पिता की मृत्यु के समय पुत्री जिन्दा हो, इस प्रकरण में पिता की मृत्यु 1989 में हुई है तथा उसकी पुत्री शान्ति की मृत्यु उससे पूर्व 1971 में ही हो चुकी थी, दूसरे शब्दों में शान्ति के पिता की मृत्यु के समय शान्ति जीवित नहीं थी, इसलिए शान्ति को कोई म्युटेशन के जरिये कोई हक नहीं मिलना चाहिये था तो उसके पुत्र को मदनलाल को हक मिलने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई सबूत भी पेश नहीं किया है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि कालुराम की मृत्यु दिनांक 9.9.2005 के बाद हुई हो। इसके अलावा शान्ति की शादी गांव रानी में तेजाराम के साथ हुई थी, इन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो मदनलाल है, मदनलाल को उसके मां व उसके पिता की सम्पत्ति जो उसके मूल गांव रानी में होगी, उसमें मदनलाल

अपना हक प्राप्त कर सकता है, शान्ति के पीहर में मदनलाल को कोई हक प्राप्त नहीं होगा। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि तेजाराम की मृत्यु होने के बाद शान्ति पाली शहर में नाते चली गई थी इसलिए भी शान्ति के पुत्र मदनलाल को कोई हक नहीं मिलता है, इस प्रकार दोनो अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर कालु के विधिक वारिसान् द्वितीय श्रेणी के कालुराम के सगे भाई ओकाराम वगैराह के नाम म्युटेशन भरने के निर्देश देते हुए अपील तहसीलदार आहोर को प्रतिप्रेषित करावे। इसके विपरीत रेस्पोंडेन्ट सं.1 के वकील ने बहस में बताया कि उक्त अपील म्याद बाहर है, दिनांक 22.12.2010 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था उस दिन अपीलांट सं.1-ओकाराम नामान्तरकरण स्वीकृत के वक्त हाजिर था जिसके हस्ताक्षर नामान्तरकरण सं. 499 के पुस्त पर है, कालु व ओका दोनो सगे भाई हैं, कालु के फौत होने पर सुगणी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ था उसके बाद सुगणी फौत होने पर उसकी पुत्री शान्ति के नाम उक्त नामान्तरकरण सही तरीके से खोला गया है, सुगणी के ओर कोई वारिसान् नहीं है, तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व सुगणी के वारिसान् का शपथपत्र लेकर नामान्तरकरण की कार्यवाही सही तरीके से की गई है, अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र में दिनांक 13.7.2018 को पटवारी के पास जाकर जमाबंदी लेने पर जानकारी होना बताया है जबकि उसे नामान्तरकरण स्वीकृति के दिन ही नामान्तरकरण की जानकारी थी, अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जावे। अप्रार्थी के वकील ने आर एल डब्लू 2005(1)आर जे पेज 457-458 की नजीर पेश की।

5. उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। मौजा सेलडी के नामान्तरकरण सं.499, सुगणी बेवा कालु की मृत्यु होने पर सुगणी के स्थान पर नामान्तरकरण सं. 499 में काट छांट कर शान्ति पुत्री कालु कौम भाट, साकिन देह खातेदार लाल स्याही से भरा गया है।

उक्त नामान्तरकरण के कॉलम सं.16 में उत्तराधिकारी ओकाराम के कायम मुकाम अलग स्याही से शान्ति अंकित किया गया है, उक्त नामान्तरकरण के पृष्ठ भाग पर वंशावली में ओकाराम का नाम काटकर अलग स्याही से शान्ति अंकित किया गया है।

उक्त नामान्तरकरण उप तहसीलदार भाद्राजून द्वारा दिनांक 22.12.2010 को मजमेआम, प्रशासन गावों के संग अभियान 2010 में स्वीकृत किया गया है।

म्युटेशन सं.788 ग्राम सेलडी के कॉलम नं. 16 में टिप्पणी अनुसार शान्ति पुत्री कालुराम की मृत्यु दिनांक 2.1.1971 को हो चुकी थी तो नामान्तरकरण सं. 499 जो दिनांक 22.12.2010 को मृतक शान्ति पुत्री कालु के नाम स्वीकृत किया गया है,एब-इनिश्यो-वॉइड है। अतः अपीलाट्स की अपील स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः अपीलाट्स की अपील स्वीकार की उप तहसीलदार भाद्राजून द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2010 (ना.क.सं.499) निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार आहोर को इन निर्देशों के तहत प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जाच कर, नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करे। पत्रावली फ़ैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाबता दफ़्तर दाखिल हो।

( छगनलाल गोयल )  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

( छगनलाल गोयल )  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
जालोर

